भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2848
दिनांक 10 मार्च, 2026 / 19 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

पंजाब के कंडी और सीमावर्ती क्षेत्रों को विशेष सहायता

†2848. डॉ. राज कुमार चब्बेवाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पंजाब के कंडी और सीमावर्ती क्षेत्रों को जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्यों के समान भौगोलिक प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें दुर्गम भू-भाग, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकटता के कारण बार-बार होने वाली सुरक्षा चिंताएं, अवसंरचना और रोजगार के अवसरों में पिछ़डापन शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पंजाब सरकार या जन प्रतिनिधियों से जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्यों को दी जाने वाली सहायता की तर्ज पर पंजाब के कंडी और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा या विशेष विकास पैकेज की मांग करने वाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उस पर की–गई-कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का पंजाब के कंडी और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए एक समर्पित केंद्रीय पैकेज, विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन, संवर्धित सीमा क्षेत्र विकास निधि और अवसंरचनात्मक परियोजनाएं शुरू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2848 दिनांक 10.03.2026

(क) से (ङ): सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी) के अन्तर्गत पंजाब राज्य में कुल 230.9 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के 2355 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। बी.ए.डी.पी के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2014-15 से पंजाब राज्य सरकार को 189.06 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा, बी.ए.डी.पी. सनसेट फेज में है और कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी नई परियोजना को स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

केंद्र सरकार ने, वीवीपी-I के अंतर्गत पहले से कवर की गई उत्तरी सीमा के अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा से लगे प्रखंडो में स्थित चिन्हित गांवों के व्यापक विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2028-29 तक के लिए ₹6839 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम-II (वीवीपी-II) को स्वीकृति दी है।

इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों को दी गई सहायता की तर्ज पर कंडी और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा या विशेष विकास पैकेज की मांग के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

******